

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठारीन अधिकारी:- श्री सी. एल. शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या 39/2018

31-1-2018 को 510 नानुराम वीरवार नि: पोरावपुरा

प्राणी

31-1-2018 को 510 नानुराम वीरवार नि: लक्ष्मणजी बाबा, पोरावपुरा
कोरबा - विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0अधिनियम 1956

आदेश

दिनांक - 10-4-2018

प्राणी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर विवेदन किया कि ग्राम पोरावपुरा पटवार हल्का पोरावपुरा तहसील मांडल/कोरबा में कराके खाते / संयुक्त खातों की आराजी नं 58/2, 59, 2492/60, 2576/58, 2577/59 कुल कित्ता 5 रकबा 3 बीघा विस्था स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतादायिका के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राणी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 31-1-2018 को पंजीयत किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्राणी के खाते एवं कब्जे तहत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिवक्ता अभिलेख में किसी प्रकार की त्रुटि-फैरी होने का अर्थ नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अब इन तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आदेश पत्र प्राणी स्थित योग्य है।

आदेश

प्राणी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लेण्ड रेगेन्स एक्ट 1956 का उपयोग किया जाकर ग्राम पोरावपुरा पटवार हल्का पोरावपुरा तहसील मांडल/कोरबा में स्थित आराजी नम्बर 58/2, 59, 2492/60, 2576/58, 2577/59 कुल कित्ता 5 रकबा 3 बीघा विस्था भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पोरावपुरा को 300/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राणीयण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुरतकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि - तहसीलदार मांडल को भेजकर और है कि प्राणी द्वारा शादी जमा कराने पर नियमावली पत्थरगढी की जाकर मालामाल रिपोर्ट दिवस में फल्लुल करे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा